



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-37

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 255310 दिनांक 26/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rajesh Yadav S/o PRABHU LAL YADAV एवं Santosh Yadav W/o SURAJ PRAKASH YADAV एवं Rashmi Yadav W/o Hemsingh Yadav	श्रीमती सायर देवी यादव पत्नी श्री प्रभू लाल यादव	25B	133.33 SQ. YARD	Cooperative	GOPALPUR A-B Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्रीमती सायर देवी पत्नी श्री प्रभू लाल यादव, श्री प्रभू लाल यादव पुत्र श्री जगन्नाथ यादव, श्री लल्लू लाल यादव पुत्र श्री प्रभू लाल यादव, श्रीमती मुन्नी यादव पत्नी श्री लल्लू लाल यादव, श्री सूरज प्रकाश यादव पुत्र श्री प्रभू लाल यादव एवं श्री हेम सिंह यादव पुत्र श्री लल्लू लाल यादव का मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Rajesh Yadav S/o PRABHU LAL YADAV एवं Santosh Yadav W/o SURAJ PRAKASH YADAV एवं Hemi Yadav W/o Hemsingh Yadav को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करने का अनुरोध किया जा रहा है। समाचार पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशित करने के लिए प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।